प्रेस नोट दिनाँक-30.09.2021

(1). आज दिनाँक 30.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीणं क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मो0नं0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(2). आज दिनाँक 30.09.2021 को पुलिस विभाग में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले (1) उ0नि0ना0पु0 श्री नन्दराज सिंह (2) उ0नि0ना0पु0 अवधेश कुमार दुबे को पुलिस लाइन सभागार में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम एवं प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह द्वारा शॉल व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया । सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को हल्का नास्ता करवा कर मुंह मीठा करवाया गया । क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सेवानिवृत हुये पुलिसकर्मियों को बताया गया कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें रहें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मजीद खान तथा उनके हमराही द्वारा मु0सं0 3299/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त चुनबद्धा पुत्र बौरा निवासी बीरा माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री मजीद खान थाना भरतकूप
2. आऱक्षी संतोष कुमार

(4). उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह की उपस्थिति में पुलिस परिवार की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए मोटिवेशनल स्पीच एवं योगा प्रणायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया । योग शिक्षक श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मोटिवेशनल स्पीच दिया गया । इसके पश्चात सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्रणायाम एवं योग निद्रा का अभ्यास कराया गया । अपने आप को स्वस्थ्य रखने हेतु प्रतिदिन योगाभ्यास अवश्य करें एवं प्रतिदनि की दिनचर्या एवं भोजन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करते हुए बताया गया ।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 81/ 21 धारा 376डी/342/504/506 आईपीसी 04 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त 1. रिंकू पुत्र विजय 2. करन कुमार उर्फ राहुल पुत्र देवीदयाल निवासीगण महारानी दाई का पुरवा मजरा रामनगर थाना रैपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार को गिरफ्तार किया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना रैपुरा
2. आऱक्षी सलीम खान
3. आरक्षी कृष्ण कुमार

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-3" अभियान के तहत दिनांक 30.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। जिसमें महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वो से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओ को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।